उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-455/2025/276 के-2/22-3-2024-17(518)/2024

लखनऊः दिनांकः17 सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सिल्लू (बन्दी संख्या-24284) पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी-ग्राम सुल्तानपुर पलनापुर, थाना-कम्पिल, जनपद-फर्रूखाबाद जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-460/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 17-02-2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-30.05.2022 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 27-06-2024 तक 15 वर्ष, 04 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 03 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगने तथा जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत बन्दी को नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि बन्दी को किसी अन्य वाद में कारागार में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद ।

6- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in